



सागर जिले में बालिका शिक्षा के प्रति महिला अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन

संजय सिंह चौहान*, शेर सिंह

¹*शोधार्थी, ²सहायक प्राध्यापक

^{1,2}शिक्षा विभाग, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) 470228

सारांश

शिक्षा मानव क्षमताओं के विकास, सामाजिक सहभागिता और आर्थिक स्वावलंबन का मुख्य आधार है। प्रस्तुत शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के सागर जिले की महिला अभिभावकों का बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का बहुआयामी विश्लेषण करना है। इस अध्ययन के अंतर्गत ग्रामीण-शहरी तथा शिक्षित-अशिक्षित महिला अभिभावकों के दृष्टिकोणों की तुलना करते हुए पारिवारिक वातावरण, आर्थिक स्थिति, विद्यालय की दूरी और सरकारी योजनाओं की भूमिका का परीक्षण किया गया है। शोध की प्रकृति मात्रात्मक, क्षेत्राधारित, अनुप्रस्थ और तुलनात्मक है। स्तरीकृत प्रतिदर्श चयन विधि (Stratified Sampling Technique) के माध्यम से सागर जिले से कुल 400 महिला अभिभावकों (200 ग्रामीण तथा 200 शहरी, जिनमें 200 शिक्षित एवं 200 अशिक्षित) का चयन किया गया। आँकड़ा-संग्रह के लिए शोधकर्ता-निर्मित 5-बिंदु Likert मापनी का उपयोग किया गया। प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण माध्य, मानक विचलन और t-परीक्षण के माध्यम से किया गया। परिणामों से स्पष्ट हुआ कि सागर जिले की महिला अभिभावकों का समग्र दृष्टिकोण बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक है (माध्य = 101.33)। तुलनात्मक विश्लेषण में शहरी महिला अभिभावकों का औसत दृष्टिकोण (103.68) ग्रामीण अभिभावकों (98.99) की तुलना में अधिक सकारात्मक पाया गया ($p < .05$)। इसी प्रकार, शिक्षित महिला अभिभावकों का दृष्टिकोण (106.91) अशिक्षित अभिभावकों (95.75) की तुलना में सांख्यिकीय रूप से उच्च पाया गया। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि समाज में बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ी है, परंतु सुरक्षा, दूरी और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

मुख्य शब्द: बालिका शिक्षा, महिला अभिभावक, दृष्टिकोण, सागर जिला, ग्रामीण-शहरी तुलना, शिक्षित-अशिक्षित तुलना।

1. प्रस्तावना

शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं के विकास, सामाजिक सहभागिता, आर्थिक स्वावलंबन और लोकतांत्रिक चेतना का आधार है। बालिका शिक्षा का महत्व इससे भी अधिक व्यापक और दूरगामी होता है, क्योंकि एक शिक्षित बालिका न केवल व्यक्तिगत उन्नति करती है, बल्कि अपने पूरे परिवार के स्वास्थ्य, पोषण, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मानव पूँजी सिद्धांत (Human Capital Theory) और क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach) दोनों यह स्वीकार करते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को केवल रोजगार के लिए सक्षम नहीं बनाती, बल्कि उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने, निर्णय लेने और सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतिबंधों से बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करती है (Sen, 1999; Nussbaum, 2011)। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 4 (समावेशी एवं समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) और लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) को परस्पर संबद्ध माना गया है (United Nations, 2015)।

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात बालिकाओं के नामांकन, साक्षरता और प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक की पहुँच में व्यापक सुधार देखा गया है। परंतु यह प्रगति सभी क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों में एक समान नहीं रही है। ग्रामीणता, गरीबी, सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताएँ, माता-पिता की शैक्षणिक स्थिति, विद्यालय की दूरी, सुरक्षित परिवहन का अभाव, घरेलू कार्यों का बोझ तथा किशोरावस्था में सुरक्षा संबंधी चिंताएँ जैसी स्थितियाँ मिलकर बालिका के शैक्षिक मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं (UNESCO, 2020; UNICEF, 2021)। भारत सरकार द्वारा संचालित शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009), सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) जैसी दूरगामी नीतियों

ने बालिका शिक्षा को अधिकार और समावेशी विकास के केंद्र में रखा है (Ministry of Education, 2020)। इसके बावजूद, प्राथमिक स्तर के बाद माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के स्तर पर बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने (Dropout) की दर एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।

इस संपूर्ण प्रक्रिया में 'महिला अभिभावक' (माता या मुख्य महिला देखभालकर्ता) की भूमिका अत्यंत निर्णायक होती है। महिला अभिभावक बालिका की दैनिक देखभाल, समय-प्रबंधन, गृहकार्य में सहयोग, पोषण, विद्यालयी गतिविधियों से जुड़ाव तथा विवाह संबंधी निर्णयों से सीधे जुड़ी होती है। यद्यपि पारिवारिक वित्तीय नियंत्रण प्रायः पुरुषों के पास होता है, फिर भी बालिका की पढ़ाई जारी रखने या रोकने में माता का दृष्टिकोण एवं उसकी व्यवहारिक इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है (Desai et al., 2010)। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 'दृष्टिकोण' केवल समर्थन या विरोध का विचार नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, भावात्मक जुड़ाव, विश्वास और व्यवहार करने की तत्परता का एक बहुआयामी संयोजन है (Ajzen, 1991)। यदि महिला अभिभावक बालिका शिक्षा को उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक मानती है, तो वह सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी बेटी की शिक्षा को प्राथमिकता देती है।

मध्य प्रदेश का सागर जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख सामाजिक व शैक्षणिक केंद्र है। जिला जनगणना 2011 के अनुसार सागर जिले की कुल साक्षरता 76.46% है, परंतु पुरुष साक्षरता (84.85%) और महिला साक्षरता (67.02%) में 17.83% का बड़ा अंतर मौजूद है। इसके साथ ही ग्रामीण साक्षरता (72.08%) और शहरी साक्षरता (86.43%) के बीच भी 14.35% का क्षेत्रीय अंतर पाया जाता है (Directorate of Census Operations, Madhya Pradesh, 2014)। बुंदेलखंड के इस ग्रामीण एवं शहरी परिवेश में पारंपरिक मान्यताएँ और आधुनिक शैक्षणिक आकांक्षाएँ एक साथ विद्यमान हैं। ऐसे संदर्भ में यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि सागर जिले की महिला अभिभावक बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और विवाह के प्रति क्या धारणा रखती हैं।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य:

- सागर जिले की महिला अभिभावकों के बालिका शिक्षा संबंधी समग्र दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- ग्रामीण और शहरी महिला अभिभावकों के बालिका शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण की तुलना करना।
- शिक्षित और अशिक्षित महिला अभिभावकों के बालिका शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण की तुलना करना।

अनुसंधान की परिकल्पनाएँ:

- H_{01} : सागर जिले की महिला अभिभावकों का बालिका शिक्षा के प्रति समग्र औसत दृष्टिकोण मापनी के सैद्धांतिक मध्यांक से सार्थक रूप से उच्च नहीं है।
- H_{02} : सागर जिले की ग्रामीण और शहरी महिला अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- H_{03} : सागर जिले की शिक्षित और अशिक्षित महिला अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

2. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति मात्रात्मक (Quantitative), क्षेत्राधारित (Field-based), अनुप्रस्थ (Cross-sectional) तथा तुलनात्मक है।

- प्रतिदर्श एवं प्रतिदर्श चयन विधि:** अध्ययन की लक्षित जनसंख्या सागर जिले की वे महिला अभिभावक थीं जिनकी कम-से-कम एक बालिका विद्यालयी या महाविद्यालयी आयु वर्ग में हो। बहु-स्तरीय स्तरीकृत प्रतिदर्श चयन विधि (Multi-stage Stratified Random Sampling) के द्वारा कुल 400 महिला अभिभावकों का चयन किया गया। निवास के आधार पर ग्रामीण (200) एवं शहरी (200) तथा शिक्षा के आधार पर शिक्षित (200) एवं अशिक्षित (200) महिला अभिभावकों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। 'शिक्षित' श्रेणी में कम-से-कम प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण उत्तरदाताओं को रखा गया।

- अनुसंधान उपकरण:** आँकड़ा-संग्रह हेतु शोधकर्ता-निर्मित "बालिका शिक्षा दृष्टिकोण मापनी" का प्रयोग किया गया। इसमें 30 कथन सम्मिलित थे, जो 5-बिंदु Likert मापनी (पूर्णतः सहमत=5, सहमत=4, तटस्थ=3, असहमत=2, पूर्णतः असहमत=1) पर आधारित थे। नकारात्मक कथनों हेतु अंकन क्रम को उल्टा रखा गया। मापनी की विषय-वस्तु वैधता विशेषज्ञ समीक्षा द्वारा सुनिश्चित की गई तथा Cronbach's Alpha द्वारा आंतरिक संगति विश्वसनीयता 0.84 प्राप्त हुई।

- **सांख्यिकीय विश्लेषण:** एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण करने के लिए माध्य (Mean), मानक विचलन (Standard Deviation) तथा परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु स्वतंत्र प्रतिदर्श t -परीक्षण (Independent Samples t -test) एवं एक-प्रतिदर्श t -परीक्षण का प्रयोग .05 सार्थकता स्तर पर किया गया।

3. परिणाम और आँकड़ा विश्लेषण

प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करके तालिकाबद्ध रूप में नीचे प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1: निवास क्षेत्र एवं शैक्षणिक स्थिति के आधार पर प्रतिदर्श का वितरण

क्र.	समूह	शिक्षित महिला अभिभावक	अशिक्षित महिला अभिभावक	कुल संख्या (N)
1.	ग्रामीण क्षेत्र	100	100	200
2.	शहरी क्षेत्र	100	100	200
कुल	—	200	200	400

तालिका 2: विभिन्न कथनों पर महिला अभिभावकों की प्रतिक्रिया का प्रतिशत वितरण

क्र.	कथन / विषय	पूर्णतः सहमत (%)	सहमत (%)	असहमत (%)	पूर्णतः असहमत (%)
1.	बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए।	65.00	26.50	6.50	2.00
2.	शिक्षा बालिका के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है।	68.50	23.75	6.00	1.75
3.	शिक्षित बालिका अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर समझती है।	71.00	21.75	5.50	1.75
4.	उच्च शिक्षा से बालिका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है।	67.50	24.50	6.25	1.75
5.	केवल घर-गृहस्थी योग्य शिक्षा देना ही पर्याप्त है (नकारात्मक)।	9.50	16.75	33.25	40.50

क्र.	कथन / विषय	पूर्णतः सहमत (%)	सहमत (%)	असहमत (%)	पूर्णतः असहमत (%)
6.	सुरक्षित परिवहन मिलने पर दूरस्थ संस्थान भेजने में आपत्ति नहीं है।	66.50	25.00	6.50	2.00
7.	पृथक शौचालय व महिला शिक्षक से विद्यालय पर विश्वास बढ़ता है।	78.75	18.00	2.75	0.50
8.	छात्रवृत्ति व साइकिल योजना से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है।	72.50	22.25	4.25	1.00

तालिका 3: समूहों के दृष्टिकोण स्कोर का माध्य एवं मानक विचलन ($N = 400$)

क्र.	समूह वर्ग	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)
1.	ग्रामीण शिक्षित	100	105.06	8.42
2.	ग्रामीण अशिक्षित	100	92.91	9.15
3.	शहरी शिक्षित	100	108.76	7.85
4.	शहरी अशिक्षित	100	98.59	8.90
अ	समग्र ग्रामीण	200	98.99	10.82
ब	समग्र शहरी	200	103.68	9.74
स	समग्र शिक्षित	200	106.91	8.31
द	समग्र अशिक्षित	200	95.75	9.48
कुल	समग्र प्रतिदर्श	400	101.33	10.85

तालिका 4: अनुसंधान परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु t-परीक्षण परिणाम

परिकल्पना	तुलनात्मक समूह	माध्य (Mean)	t-मान (ttt-value)	p-मान (ppp-value)	परिणाम / निर्णय
H_{01}	समग्र दृष्टिकोण (101.33) बनाम सैद्धांतिक मध्यांक (75.00)	101.33	48.53	< .001	अस्वीकृत (दृष्टिकोण सार्थक रूप से उच्च है)
H_{02}	शहरी (103.68) बनाम ग्रामीण (98.99)	$Diff = 4.69$	4.56	< .001	अस्वीकृत (सार्थक अंतर विद्यमान है)
H_{03}	शिक्षित (106.91) बनाम अशिक्षित (95.75)	$Diff = 11.16$	12.52	< .001	अस्वीकृत (सार्थक अंतर विद्यमान है)

4. चर्चा (Discussion)

शोध अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट होता है कि सागर जिले की महिला अभिभावकों का समग्र दृष्टिकोण बालिका शिक्षा के प्रति अत्यधिक सकारात्मक है (माध्य = 101.33, सैद्धांतिक मध्यांक 75 से काफी उच्च)। 91.50% से अधिक महिलाओं का यह मानना कि बालिकाओं को लड़कों के समान शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए, समाज में आ रहे प्रगतिशील विचारों को रेखांकित करता है। अधिकांश महिला अभिभावक अब बालिका शिक्षा को केवल विवाह योग्य योग्यता के रूप में नहीं देखतीं, बल्कि इसे स्वावलंबन, व्यक्तित्व विकास, अधिकारों की चेतना और सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार मानती हैं (Nussbaum, 2011)। तुलनात्मक विश्लेषण से यह सिद्ध हुआ कि शहरी महिला अभिभावकों का दृष्टिकोण ग्रामीण अभिभावकों की तुलना में अधिक सकारात्मक है ($t = 4.56, p < .001$)। इस अंतर का मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों व महाविद्यालयों की सुलभता, बेहतर परिवहन व्यवस्था, डिजिटल पहुँच और रोजगार के अवसरों की दृश्यता है। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय की दूरी, किशोरावस्था में सुरक्षा संबंधी चिंताओं और सार्वजनिक परिवहन के अभाव के कारण अभिभावकों का समर्थन व्यावहारिक स्तर पर संकोच में बदल जाता है (Muralidharan & Prakash, 2017)।

इसी प्रकार, शिक्षित महिला अभिभावकों का दृष्टिकोण अशिक्षित अभिभावकों की तुलना में सांख्यिकीय रूप से काफी उच्च पाया गया ($t = 12.52, p < .001$)। यह परिणाम दर्शाता है कि माता की अपनी औपचारिक शिक्षा उसके विश्लेषणात्मक चिंतन, संस्थागत आत्मविश्वास और बालिका के लिए उच्च शैक्षणिक आकांक्षाओं को बढ़ाती है (Desai et al., 2010)। इसके साथ ही, अध्ययन ने यह भी स्पष्ट किया कि पृथक बालिका शौचालय (78.75% पूर्ण सहमति), महिला शिक्षकों की उपस्थिति (64.75% पूर्ण सहमति) तथा निःशुल्क साइकिल व छात्रवृत्ति जैसी सरकारी योजनाओं ने अभिभावकों के विश्वास को मजबूत करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है।

5. निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सागर जिले में बालिका शिक्षा के प्रति महिला अभिभावकों की सामाजिक सोच में सकारात्मक परिवर्तन आया है। महिला अभिभावक अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के पक्ष में हैं। हालाँकि, यह सकारात्मक दृष्टिकोण ग्रामीण-शहरी निवास तथा अभिभावक की अपनी शैक्षणिक स्थिति से गहराई से प्रभावित होता है। आर्थिक सीमाएँ, किशोरावस्था के बाद सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, दूरस्थ विद्यालय और घरेलू जिम्मेदारियों का भार अभी भी बालिका शिक्षा की निरंतरता में मुख्य बाधक बने हुए हैं।

नीतिगत सुझाव:

- (i) **सुरक्षित परिवहन व्यवस्था:** ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए निःशुल्क और सुरक्षित बस/परिवहन सुविधा का विस्तार किया जाए।
- (ii) **आधारभूत संरचना का सुदृढीकरण:** सभी माध्यमिक व उच्च विद्यालयों में पृथक कार्यशील शौचालय, पेयजल तथा पर्याप्त महिला शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
- (iii) **अभिभावक परामर्श शिविर:** ग्रामीण एवं अशिक्षित महिला अभिभावकों के लिए विशेष जागरूकता और करियर-मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाए जाएँ।
- (iv) **डिजिटल समावेशन:** ग्रामीण बालिकाओं के लिए सुरक्षित एवं नियंत्रित डिजिटल शिक्षा के अवसर बढ़ाए जाएँ।

संदर्भ सूची

1. अजजेन, आई. (1991). द थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। *ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन डिजीजन प्रोसेसेस*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
2. एएसईआर सेंटर। (2023). *एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ग्रामीण) 2022*. प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन।
3. आजम, एम., और किंगडम, जी. जी. (2013). आर गर्ल्स द फेयरर सेक्स इन इंडिया? रीविजिटिंग इंटर-हाउसहोल्ड एलोकेशन ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर। *वर्ल्ड डेवलपमेंट*, 42, 143–164. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.09.003>
4. बीमैन, एल., डुप्लो, ई., पांडे, आर., और टोपालाकोवा, पी. (2012). फीमेल लीडरशिप रेज़िज़ एस्पिरेशंस एंड एजुकेशनल अटैचमेंट फॉर गर्ल्स: ए पॉलिसी एक्सपेरिमेंट इन इंडिया। *साइंस*, 335(6068), 582–586. <https://doi.org/10.1126/science.1212382>
5. देसाई, एस., दुबे, ए., जोशी, बी. एल., सेन, एम., शरीफ, ए., और वन्नेमन, आर. (2010). *ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया: चैलेंजेस फॉर ए सोसाइटी इन ट्रांजिशन*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. डायरेक्टररेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन्स, मध्य प्रदेश। (2014). *डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक: सागर, सेंसस ऑफ इंडिया 2011*. ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इंडिया।
7. ड्रेजे, जे., और सेन, ए. (2013). *एन अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कांट्रिडिक्शंस*. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. शिक्षा मंत्रालय। (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार।
9. मुरलीधरन, के., और प्रकाश, एन. (2017). साइक्लिंग टू स्कूल: इंक्रीजिंग सेकेंडरी स्कूल एनरोलमेंट फॉर गर्ल्स इन इंडिया। *अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नल: एप्लाइड इकोनॉमिक्स*, 9(3), 321–350. <https://doi.org/10.1257/app.20160004>
10. नुस्बाउम, एम. सी. (2011). *क्रिएटिंग कैपेबिलिटीज: द ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच*. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
11. प्लैचरोपोलोस, जी., और पाट्रिनोस, एच. ए. (2018). रिटर्न्स टू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन: ए डेसेनियल रिव्यू ऑफ द ग्लोबल लिटरेचर। *एजुकेशन इकोनॉमिक्स*, 26(5), 445–458. <https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426>
12. रामचंद्रन, वी. (संपा.). (2004). *जेंडर एंड सोशल इक्विटी इन प्राइमरी एजुकेशन: हायराकीज ऑफ एक्सेस*. सेज पब्लिकेशंस।
13. सेन, ए. (1999). *डेवलपमेंट एज़ फ्रीडम*. अल्फ्रेड ए. नॉटप।
14. यूनेस्को। (2020). *ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020: इन्क्लूजन एंड एजुकेशन—ऑल मीन्स ऑल यूनेस्को*।
15. यूनिसेफ। (2021). *रीइमैजिनिंग गर्ल्स एजुकेशन: सॉल्यूशंस टू कीप गर्ल्स लर्निंग इन इमरजेंसीज़*. यूनिसेफ।